



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ३६]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक ३१ जनवरी २०२६ — भाग १, शक १९४७

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक १५ जनवरी २०२६

अधिसूचना

File No. ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME).- छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, २००७ (क्र. १३ का २००७) की धारा ६ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विद्यमान पुलिस जिला अर्थात् रायपुर का पुनर्गठन करके दो पुलिस जिलों अर्थात् रायपुर नगरीय और रायपुर ग्रामीण का गठन करती है, जिनके संबंधित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित है, अर्थात् -

अनुसूची

क्रमांक	पुलिस जिले का नाम	पुलिस थाना का नाम	पुलिस प्रशासन प्रमुख
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	रायपुर नगरीय	१. सिविल साईन	पुलिस महानिरीक्षक पुलिस जिला रायपुर नगरीय
		२. देवेन्द्र नगर	
		३. तेलीबाधा	
		४. कोतवाली	
		५. गंज	
		६. मींदहापारा	
		७. गौल बाजार	
		८. पुरानी बस्ती	
		९. डी.डी. नगर	
		१०. आनानाका	
		११. आजाद चौक	

		12. सरस्वती नगर	
		13. कबीर नगर	
		14. राजेन्द्र नगर	
		15. मुजगहन	
		16. टिकरापारा	
		17. उरला (नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र)	
		18. खमतलाई	
		19. गुडियारी	
		20. पंढरी	
		21. छम्हारडीह	
2	रायपुर ग्रामीण	1. विधानसभा	पुलिस अधीक्षक पुलिस जिला रायपुर ग्रामीण
		2. घरसीदा	
		3. खरोरा	
		4. तिल्दा नेवरा	
		5. माना	
		6. मंदिर हसीद	
		7. आरंग	
		8. नवा रायपुर	
		9. राखी	
		10. अमनपुर	
		11. गोबरा नवापारा	
		12. उरला (नगर पालिक निगम बीरगांव के बाहर आने वाला क्षेत्र)	

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही इस विभाग की अधिसूचना क्र. File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME) दिनांक 15 जनवरी, 2026 की अनुसूची के सरल क्र. 1 में उल्लिखित रायपुर नगरीय पुलिस जिले का गठन, परिभाषित प्रादेशिक सीमाओं सहित कर दिया गया है।

यतः, रायपुर एवं बीरगांव नगरीय निकायों की समेकित जनसंख्या लगभग 19,00,000 है, जो दस लाख से अधिक है।

रायपुर नगरीय पुलिस जिले, जो एक विशिष्ट क्षेत्र है, में कानून व्यवस्था, अपराध और आंतरिक सुरक्षा के जटिल मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, शासन को पुलिसिंग की कमिशनरेट प्रणाली स्थापित करना समीचीन प्रतीत होता है। तदनुसार, इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए, पुलिस प्रशासन, पुलिस आयुक्त, रायपुर नगरीय के रूप में नामित एक अधिकारी में निहित होगा, जो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 एवं अन्य लागू विधियों के अधीन उक्त विशिष्ट क्षेत्र में शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा जो पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्वधीन होगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पुलिस अधीक्षक, रायपुर नगरीय पुलिस जिले के कार्यालय को अनुसूची-एक में उल्लिखित अधिकारियों सहित पुलिस आयुक्त, रायपुर नगरीय के कार्यालय के रूप में पुर्ननामित करती है।

इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 14 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, रायपुर नगरीय पुलिस आयुक्त को उक्त विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करती है तथा रायपुर नगरीय पुलिस जिले में पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस आयुक्तों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए संहिता की धारा 59, 125 से 143, धारा 148 से 151 तथा धारा 163 के अंतर्गत शक्तियां एवं कृत्यों का प्रयोग करने हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त करती है।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रायपुर नगरीय पुलिस जिले को अनुसूची-दो के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुसार तीन भागों में विभाजित करती है, जिसमें अनुसूची-दो के कॉलम (5) में उल्लिखित पुलिस थाने भी सम्मिलित हैं।

और इसके अतिरिक्त, इस जिले के अधिकारियों का पदानुक्रम, अनुसूची-दो के कॉलम (2), (3) एवं (4) के अनुसार होगा।

क्रमांक	पद (श्रेणी)	वेतनमान	विवरण	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पुलिस आयुक्त (पुलिस महानिरीक्षक)	केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) या उससे अधिक	पुलिस आयुक्त कार्यालय के पुलिस प्रमुख	1
2	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक)	केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13ए (1,31,100-2,16,600 रुपये)/ केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये) या उससे अधिक	कानून व्यवस्था, अपराध एवं मुख्यालय	1
3	पुलिस उपायुक्त (पुलिस अधीक्षक)	केन्द्रीय वेतन, कानून व्यवस्था, अपराध एवं मुख्यालय मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये) या उससे अधिक	पुलिस जिले	3
			यातायात एवं प्रोटोकॉल	1
			अपराध एवं साइबर	1
			कुल	5
4	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)	राज्य वेतन मैट्रिक्स लेवल स्तर-12 (56,100-1,77,500 रुपये) या उससे अधिक	पुलिस जिले	3
			अपराध एवं साइबर	2
			टैफिक (2) और प्रोटोकॉल (1)	3
			मुख्यालय, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, (डीएसबी), अजाक, सीएडब्ल्यू	1
			कुल	9
5	सहायक पुलिस आयुक्त (सहायक पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक)	राज्य वेतन मैट्रिक्स लेवल स्तर-12 (56,100-1,77,500 रुपये) या उससे अधिक	अनुविभाग	7
			अपराध एवं साइबर	2
			पुलिस लाईन	1
			मुख्यालय, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस	1
			शिफ्टाचार	1
			अजाक, सीएडब्ल्यू	3
			यातायात	6
			कुल	21

अनुसूची-दो

क्रमांक	भाग एवं पदनाम	पदनाम	पदनाम	पुलिस थाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस मध्य	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस मध्य)	सहायक पुलिस आयुक्त, (सिविल लाईन)	सिविल लाईन
				देवेन्द्र नगर
				तेलीबाधा
			सहायक पुलिस आयुक्त, (कोतवाली)	कोतवाली
				गंज
				मींदहापास
				गोल बाजार
2.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस पश्चिम	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस पश्चिम)	सहायक पुलिस आयुक्त, (पुरानी बस्ती)	पुरानी बस्ती
				डी.डी. नगर
				आमानाका
			सहायक पुलिस आयुक्त, (आज़ाद चौक)	आज़ाद चौक
				सरस्वती नगर
				कबीर नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त, (राजेन्द्र नगर)	राजेन्द्र नगर
				मुजगहन
				टिकरापास
3.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस उत्तर	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस उत्तर)	सहायक पुलिस आयुक्त, (उरला)	उरला (नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र)
				खमतराई
				गुड़ियारी
			सहायक पुलिस आयुक्त, (पंडरी)	खम्हारडीह
				पंडरी

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार शिंदे, अपर मुख्य सचिव,

अनुसूची-दो

क्रमांक	भाग एवं पदनाम	पदनाम	पदनाम	पुलिस थाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस मध्य	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस मध्य)	सहायक पुलिस आयुक्त, (सिविल लाईन)	सिविल लाईन
				देवेन्द्र नगर
				तेलीबाधा
			सहायक पुलिस आयुक्त, (कोतवाली)	कोतवाली
				गंज
				मींदहापास
				गोल बाजार
2.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस पश्चिम	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस पश्चिम)	सहायक पुलिस आयुक्त, (पुरानी बस्ती)	पुरानी बस्ती
				डी.डी. नगर
				आमानाका
			सहायक पुलिस आयुक्त, (आज़ाद चौक)	आज़ाद चौक
				सरस्वती नगर
				कबीर नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त, (राजेन्द्र नगर)	राजेन्द्र नगर
				मुजगहन
				टिकरापास
3.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस उत्तर	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस उत्तर)	सहायक पुलिस आयुक्त, (उरला)	उरला (नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र)
				खमतराई
				गुड़ियारी
			सहायक पुलिस आयुक्त, (पंडरी)	खम्हारडीह
				पंडरी

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार शिंदे, अपर मुख्य सचिव,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME).- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46 का 2023) की धारा 14 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा रायपुर नगरीय के पुलिस आयुक्त को इस विभाग की अधिसूचना File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME) दिनांक. 15 जनवरी, 2026 के अधीन अधिसूचित रायपुर नगरीय पुलिस जिले के संबंध में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की समस्त कार्यों का भी निर्वहन करने हेतु निर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

1.	छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007
2.	बंदी अधिनियम, 1900
3.	विष अधिनियम, 1919
4.	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
5.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
6.	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
7.	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
8.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871
9.	छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME).- छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (13 का 2007) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सूची में यथा उल्लिखित रायपुर (ग्रामीण) जोन एवं पुलिस रेंज का पुनर्गठन करती है:-

सारणी

सरल क्रमांक	पुलिस जोन का नाम	पुलिस रेंज का नाम	पुलिस जिले
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर जोन	पुलिस उप महानिरीक्षक रायपुर (ग्रामीण) रेंज	1. रायपुर ग्रामीण 2. जिला बलीदा बाज़ार 3. जिला धमतरी 4. जिला महासमुंद 5. जिला गरियाबंद

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव